निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड,
भोपालपानी, देहरादून।

सेवा में,

1. प्रबन्ध निदेशक,
उत्तरांचल वनविकास निगम,
अरण्य भवन, देहरादून।

2. प्रबन्ध निदेशक,
कुमाऊ मण्डल विकास निगम,
ओक पार्क हाउस,नैनीताल।

3. प्रबन्ध निदेशक,
गढवालमण्डल विकास निगम,
राजपुर रोड, देहरादून।

पत्रांकः /खनन/उपखनिज/रायल्टी/भू0खनि0इ0/2012–13, दिनांक 23 जनवरी, 2013

विषयः उपखनिज बालू, बजरी, बोल्डर, पत्थर की संशोधित रायल्टी दर के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश सं0 162 /VII-II-13/24–ख/2007 दिनांक 18 जनवरी, 2013 के द्वारा उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली –2001 के नियम–21की प्रथम अनुसूची में इंगित उपखनिज बालू, बजरी, बोल्डर, पत्थर आदि की रायल्टी दरें तथा नियम–22 की द्वितीय अनुसूची में इंगित अपरिहार्य भाटक की दरें दिनांक 18 जनवरी, 2013 से संशोधित कर दी गयी है।

अतः उक्त शासनादेश की छायाप्रति इस पत्र के साथ सलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

सलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(शैलेश बगौली)
निदेशक

पत्रांकः 1197/खनन/उपखनिज/रायल्टी/भू0खनि0इ0/2012–13, तददिनांक ।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. ज्येष्ठ खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून।
2. खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, हरिद्वार,पौडी गढवाल, टिहरी गढवाल.।
3. खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, नैनीताल, बागेश्वर ,अल्मोडा।
4. खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उधमसिहनगर, चम्पावत पिथौरागढ।
5. खान निरीक्षक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, चमोली, उत्तरकाशी ,रूद्रप्रयाग।

(शैलेश बगौली)
निदेशक

233

उत्तराखण्ड शासन।
औद्योगिक विकास अनुभाग–2
संख्याः /62/VII-II-13/24–ख/2007
देहरादूनः दिनांकः 10 जनवरी, 2013

अधिसूचना

राज्यपाल, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 67 वर्ष 1957) की धारा 15 सपठित उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 1963) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2013

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ — 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार)(संशोधन) नियमावली, 2013 है।

(2) यह इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

प्रथम अनुसूची का संशोधन — 2. उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 1963) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001 में नीचे स्तम्भ 1 में दी गई विद्यमान प्रथम अनुसूची के स्थान पर स्तम्भ–2 में दी गई अनुसूची रख दी जाएगी, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 (वर्तमान प्राविधान)		स्तम्भ–2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्राविधान)	
(उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार)(संशोधन) नियमावली, 2009 का स्तम्भ–2 प्रथम अनुसूची (नियम–21))		प्रथम अनुसूची (नियम–21)	
उपखनिज का नाम	स्वामित्व (रायल्टी) की दरें (रू0में)	उपखनिज का नाम	स्वामित्व (रायल्टी) की दरें (रू0में)
6. नदी तल से भिन्न स्थानों से प्राप्त खण्डास/बोल्डर्स (जिसकी कोई भी साईड 25 से0मी0 से अधिक न हो), बजरी/गिट्टी बैलास्ट सिंगल/पहाड़ों के क्षरण से उत्पन्न मोरम/बालू/ मिट्टी।	22.00 प्रति टन। 40.00 प्रति घन मीटर	6. नदी तल से भिन्न स्थानों से प्राप्त खण्डास/बोल्डर्स (जिसकी कोई भी साईड 25 से0मी0 से अधिक न हो), बजरी/गिट्टी बैलास्ट सिंगल/पहाड़ों के क्षरण से उत्पन्न मोरम/बालू/मिट्टी।	44.00 प्रति टन। 80.00 प्रति घन मीटर
8. विहित प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त होने वाली बालू से भिन्न नदी तल में उपलब्ध साधारण बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इसमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो।	25.00 प्रति टन। 45.00 प्रति घन मीटर	8. विहित प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त होने वाली बालू से भिन्न नदी तल में उपलब्ध साधारण बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इसमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो।	50.00 प्रति टन। 90.00 प्रति घन मीटर

2. उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दी गयी द्वितीय अनुसूची के स्थान पर स्तम्भ–2 में दी गयी अनुसूची रख दी जायेगी।

स्तम्भ–1 (वर्तमान प्राविधान)		स्तम्भ–2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्राविधान)	
(उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार)(संशोधन) नियमावली, 2009 का स्तम्भ–2 द्वितीय अनुसूची (नियम–22))		द्वितीय अनुसूची (नियम–22)	
उपखनिज के नाम	प्रति एकड़ वार्षिक अपरिहार्य भाटक (रू0 में)	उपखनिज के नाम	प्रति एकड़ वार्षिक अपरिहार्य भाटक (रू0 में)
3. नदी तल से भिन्न स्थान से प्राप्त इमारती पत्थर (बिल्डिंग स्टोन)खण्डास/बोल्डर्स/बजरी/गिट्टी/बैलास्ट/सिंगल/पहाड़ों के क्षरण से उत्पन मोरम/बालू/मिट्टी।	8000.00	3. नदी तल से भिन्न स्थान से प्राप्त इमारती पत्थर (बिल्डिंग स्टोन)खण्डास/बोल्डर्स/बजरी / गिट्टी/बैलास्ट/सिंगल/पहाड़ों के क्षरण से उत्पन मोरम/ बालू/मिट्टी।	16,000.00
4. नदी तल में उपलब्ध साधारण बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो।	20,000.00	4. नदी तल में उपलब्ध साधारण बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो ।	40,000.00

3. अधिसूचना संख्या 2390/VII-2-09/24–ख/2007, दिनांक 05 अक्टूबर 2009 द्वारा उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली–2009 के अन्य प्राविधान यथावत् रहेंगे।

राकेश शर्मा
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 162/VII-I-13/24–ख/2007, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. मण्डलायुक्त गढ़वाल/कुमांयूँ, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, उद्योग/भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, देहरादून।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुए 100 प्रतियाँ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(किशन नाथ)
अपर सचिव।